भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 135

दिनांक 18 **जुलाई**, 2022

तेल कंपनियों द्वारा ईंधन पर लिया गया कर

135. **श्री राम नाथ ठाकुर**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान तेल कंपनियों द्वारा ईंधन पर लगाए गए करों से क्रमश: अर्जित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि तेल कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं; और

(ग) पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर कितना कर लिया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): पिछले 2 वर्षों के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्र और राज्य के राजकोष में अंशदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रु./करोड़

वर्ष	केन्द्रीय राजकोष को कुल अंशदान	राज्य राजकोष को कुल अंशदान	राजकोष को पेट्रोलियम क्षेत्र का कुल अंशदन
2020-21	4,55,069	2,17,650	6,72,719
2021-22	4,92,303	2,82,122	7,74,425

स्रोत: 16 प्रमुख तेल और गैस कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों का स्टैंड-अलोन करोपरांत लाभ (पीएटी)/(हानियां) निम्नवत हैं:

(रु./करोड़)

कंपनियां	2020-21	2021-22
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)	11,246	40,306
गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल)	4,890	10,364
ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)	1,742	3,887
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	21,836	24,184
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	19,042	8,789
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	10,664	6,383
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	(240)	2,955
चैन्ने पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	238	1,342
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	3,036	3,562

स्रोत:पीपीएसी

(ग): पेट्रोल और डीजल पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सीमा शुल्क : पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क दरें नीचे दी गई हैं:

प्रभावी तारीख	पेट्रोल और डीजल
02.02.2021	2.5 % तथा 10% समाजिक कल्याण अधिभार

स्रोत:पीपीएसी

उत्पाद शुल्क: पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरें नीचे दी गई हैं:

रु./लीटर

प्रभावी तारीख	पेट्रोल	डीजल
22.05.2022	19.90	15.80

स्रोत:पीपीएसी

वैट: दिनांक 01.07.2022 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट की राज्य–वार वास्तविक दरें **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

"तेल कंपनियों द्वारा ईंधन पर लिया गया कर" के संबंध में संसद सदस्य श्री राम नाथ ठाकुर नीरज डांगी द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 135 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्रमांक	राज्य	पेट्रोल	डीजल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1%	1%
2	आंध्र प्रदेश	31% वैट + रु 4/लीटर वैट + रु 1/लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट	22.25% वैट + रु 4/लीटर वैट + रु 1/लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट
3	अरुणाचल प्रदेश	14.50%	7.00%
4	असम	32.66% या रु.22.63 प्रति ली. जो भी वैट रूप में अधिक तथा 5 रुपए प्रति लीटर की छूट घटाएं	23.66% या रु 17.45 प्रति लीटर जो भी वैट रूप में अधिक तथा 5 रुपए प्रति लीटर की छूट घटाएं
5	बिहार	23.58% या रु 16.65 / लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	16.37% या 12.33 / लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
6	चंडीगढ़	रु.10/केएल उप कर+15.24% या रु.12.42/ली जो भी अधिक	रु.10/केएल उप कर+6.66% या रु.5.07/ली जो भी अधिक
7	छत्तीसगढ़	24% वैट + रु 2 / लीटर वैट	23% वैट + 1 / लीटर वैट
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12.75% वैट	13.50% वैट
9	दिल्ली	19.40% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
10	गोवा	20% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	17% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
11	गुजरात	13.7% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर	14.9% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर
12	हरियाणा	18.20% या रु. 14.50 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16.00% वैट या रु 11.86 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
13	हिमाचल प्रदेश	17.5% या 13.50 / लीटर - जो भी अधिक हो	6% या रु 4.40 / लीटर - जो भी अधिक हो
14	जम्मू और कश्मीर	24% एमएसटी + 2 रु / लीटर रोजगार उप कर, रु 4.50 / लीटर की कमी	16% एमएसटी + रु 1.00 / लीटर रोजगार उप कर, रु.6.50/लीटर की कमी
15	झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या रु 17.00 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या रु 12.50 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + उप कर 1.00 रुपये प्रति लीटर
16	कर्नाटक	25.92% बिक्री कर	14.34% बिक्री कर
17	केरल	30.08% बिक्री कर + रु 1/ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर	22.76% बिक्री कर + रु 1/ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर
18	लद्दाख	15%एमएसटी+रु 5/लीटर रोजगार उप कर, रु2.5/लीटर छूट	6% एमएसटी+रु 1/लीटर रोजगार उप कर, रु 0.50/ली. छूट
19	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20	मध्य प्रदेश	29% वैट + रु 2.5 / लीटर वैट + 1% उप कर	19% वैट + रु 1.5/ लीटर वैट + 1% उप कर
21	महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती और औरंगाबाद	26% वैट + रु. 10.12 / लीटर अतिरिक्त कर	24% वैट + रु 3.00 / लीटर अतिरिक्त कर
22	महाराष्ट्र (शेष राज्य)	25% वैट + रु. 10.12 / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट + रु 3.00 / लीटर अतिरिक्त कर
23	मणिपुर	25% वैट	13.5% वैट
24	मेघालय	13.5% या रु 11.00 / लीटर – जो भी अधिक हो (0.10/लीटर प्रदूषण अधिभार)	5% या 4.00 रुपए /लीटर - जो भी अधिक हो (0.10/लीटर प्रदूषण अधिभार)
25	मिजोरम	16.36% वैट	5.23% वैट
26	नागालैंड	25% वैट या रु 16.04/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में, रु 5.5 लीटर की कमी	16.50% वैट या रु 10.51/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु .2.00/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में, रु. 5.1 लीटर की कमी
27	ओडिशा	28% वैट	24% वैट
28	पुदुच्चेरी	14.55% वैट	8.65% वैट
29	पंजाब	रु. 2050/केएल (उप कर) + रु 0.10 प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि) + रु 0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क) +13.77 प्रतिशत वैट +10 प्रतिशत अतिरिक्त कर या 12.50 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो	रु 1050/केएल (उप कर) + रु 0.10 प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क) +9.92% वैट+ 8.24 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो (वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर
30	राजस्थान	31.04% वैट + रु.1500 / केएल सड़क विकास उप कर	19.30% वैट + रु. 1750 / केएल सड़क विकास उप कर
31	सिक्किम	20% वैट + रु 3000 / केएल उपकर	10% वैट + रु. 2500 / केएल उपकर
32	तमिलनाडु	13% + रु. 11.52 प्रति लीटर	11% + रु. 9.62 प्रति लीटर
33	तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
34	त्रिपुरा	17.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर	10.00% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर
35	उत्तर प्रदेश	19.36% या 14.85 / लीटर जो भी अधिक हो	17.08% या रु.10.41 / लीटर जो भी अधिक हो

36	उत्तराखंड	16.97% या 13.14 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.15% या रु 10.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो
37	पश्चिम बंगाल	25% या रु.13.12/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है +1000/केएल उप कर - रु 1000 /केएल बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर)	17% या रु. 7.70/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है + रु 1000/केएल बिक्री कर छूट रु. 1000/केएल बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर)
स्रोत : (पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी))			